

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

या :- 109/2022

कमलेश बनाम सरकार

क्र आज्ञा गर्हवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता निर्मल कुमार जैन हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 02.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(21) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर) जयपुर</p>	
2.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। समय के अभाव में आदेश नहीं सुनाया गया। वास्ते आदेश दिनांक 09.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(21) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर) जयपुर</p>	
3.2024	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस वकील प्रार्थी की पूर्व में सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम बाबत सीमाचिन्ह कायम किए जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।</p> <p>पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(21) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर) जयपुर</p>	